कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. – 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 240/2026 **प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़** दिनांक- 22.06.2026

प्रेस नोट

मादक पदार्थ तस्करों को कड़ा संदेश

थाना – गम्भीरपुर, जनपद – आजमगढ़
दिनांक – 22.06.2026

दिनांक 12.03.2026 को 353.990 किग्रा गांजा (कीमत लगभग 01 करोड़ 77 लाख रुपये) के साथ गिरफ्तार अंतरराज्यीय तस्कर पर आजमगढ़ पुलिस का बड़ा आर्थिक प्रहार, SAFEM (FOP)A एवं NDPS एक्ट, नई दिल्ली ने 10.50 लाख रुपये मूल्य के कंटेनर वाहन को अपराध से अर्जित संपत्ति मानते हुए जब्तीकरण का आदेश किया पारित

सक्षम प्राधिकारी द्वारा फ्रीजिंग आदेश की पुष्टि के उपरांत आज 22.06.2026 को तस्करी में प्रयुक्त कंटेनर वाहन का विधिक जब्तीकरण की प्रक्रिया सम्पन्न

मादक पदार्थ तस्करों को कड़ा संदेश—अब केवल गिरफ्तारी नहीं, अपराध से अर्जित सम्पत्तियों पर भी चलेगा कानून का शिकंजा; आजमगढ़ पुलिस की जीरो टॉलरेंस नीति जारी

मादक पदार्थों की तस्करी एवं उससे अर्जित अवैध सम्पत्तियों के विरुद्ध जनपद आजमगढ़ पुलिस द्वारा चलाए जा रहे अभियान के क्रम में **थाना गम्भीरपुर पुलिस** को एक महत्वपूर्ण विधिक एवं वित्तीय सफलता प्राप्त हुई है। दिनांक **12.03.2026** को **एसटीएफ लखनऊ एवं थाना गम्भीरपुर पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा 353.990 किलोग्राम अवैध गांजा (अनुमानित मूल्य लगभग 01 करोड़ 77 लाख रुपये)** के साथ गिरफ्तार **अंतरराज्यीय तस्कर राजीव कुमार यादव उर्फ संजीव कुमार उर्फ संजू पुत्र तिलक सिंह निवासी ग्राम सुरैंदा फूलपुर, थाना अजीतमल, जनपद औरैया** के विरुद्ध की गई वित्तीय विवेचना अब एक महत्वपूर्ण मुकाम पर पहुँच गई है।

नई दिल्ली स्थित **Competent Authority & Administrator, SAFEM (FOP)A एवं NDPS एक्ट** द्वारा पारित आदेश में **तस्करी में प्रयुक्त कंटेनर वाहन संख्या UP-79 AT-9418** को अपराध से अर्जित धनराशि से खरीदी गई सम्पत्ति मानते हुए फ्रीजिंग आदेश की पुष्टि की गई, जिसके क्रम में आज दिनांक **22.06.2026** को उक्त वाहन के विधिक **जब्तीकरण** की कार्रवाई सम्पन्न कराई गई।

पूर्व की कार्रवाई का विवरण-

उल्लेखनीय है कि दिनांक **12.03.2026** को **एसटीएफ लखनऊ एवं थाना गम्भीरपुर पुलिस** को सूचना प्राप्त हुई थी कि **छत्तीसगढ़ राज्य से भारी मात्रा में अवैध गांजा कंटेनर वाहन के माध्यम से उत्तर प्रदेश** लाया जा रहा है। सूचना के आधार पर **अमौड़ा टोल प्लाजा के समीप** संयुक्त चेकिंग अभियान चलाया गया। वाहन संख्या **UP-79 AT-9418** की तलाशी के दौरान उसमें **विशेष रूप से निर्मित गुप्त कैविटी से 14 बोरियों में कुल 353.990 किलोग्राम अवैध गांजा** बरामद हुआ, जिसकी **अनुमानित अंतरराष्ट्रीय बाजार कीमत लगभग 01 करोड़ 77 लाख** रुपये थी। मौके से अभियुक्त **राजीव कुमार यादव** को गिरफ्तार किया गया तथा **थाना गम्भीरपुर पर मु0अ0सं0 71/2026, धारा 8/20/29/60 एनडीपीएस एक्ट** पंजीकृत किया गया। तस्करी में प्रयुक्त **कंटेनर वाहन** को उसी समय विधिक रूप से **सीज कर पुलिस अभिरक्षा में** लिया गया था।

वित्तीय विवेचना में सामने आया अवैध सम्पत्ति का सच-

विवेचना के दौरान **थाना गम्भीरपुर पुलिस** द्वारा **एनडीपीएस एक्ट, 1985 के अध्याय-VA के अंतर्गत** अभियुक्त की आय, सम्पत्तियों एवं वित्तीय लेन-देन की गहन जांच की गई। जांच में यह तथ्य प्रकाश में आया कि अभियुक्त द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी से अर्जित अवैध धनराशि का निवेश कर **टाटा कंटेनर वाहन संख्या UP-79 AT-9418 खरीदा** गया था। वित्तीय अभिलेखों, उपलब्ध साक्ष्यों एवं जांच के आधार पर उक्त वाहन का **मूल्य लगभग 10 लाख 50 हजार रुपये** आंका गया तथा यह स्थापित हुआ कि वाहन अपराध से अर्जित आय से खरीदा गया है।

SAFEM (FOP)A एवं NDPS एक्ट, नई दिल्ली ने गम्भीरपुर पुलिस की कार्रवाई को माना विधिसम्मत

उक्त तथ्यों के आधार पर थाना गम्भीरपुर पुलिस द्वारा दिनांक **20.05.2026** को **धारा 68F(1), NDPS Act, 1985** के अंतर्गत वाहन को फ्रीज करने का आदेश पारित किया गया तथा अनुमोदन हेतु सम्पूर्ण प्रकरण **Competent Authority & Administrator, SAFEM (FOP)A एवं NDPS एक्ट, नई दिल्ली को भेजा गया।** उपलब्ध साक्ष्यों, वित्तीय विवेचना, अभिलेखों एवं अभियुक्त को सुनवाई का अवसर प्रदान किए जाने के उपरांत **सक्षम प्राधिकारी द्वारा धारा 68F(2), NDPS Act, 1985 के अंतर्गत Confirmation Order पारित करते हुए फ्रीजिंग आदेश की पुष्टि की गई।** सक्षम प्राधिकारी ने अपने आदेश में स्पष्ट रूप से माना कि **वाहन संख्या UP-79 AT-9418 मादक पदार्थों की तस्करी से अर्जित आय से खरीदा गया है तथा यह "Illegally Acquired Property" अर्थात अवैध रूप से अर्जित सम्पत्ति की श्रेणी में आता है।** साथ ही **गम्भीरपुर पुलिस द्वारा की गई वित्तीय विवेचना एवं सम्पत्ति संबंधी कार्रवाई को पूर्णतः विधिसम्मत एवं न्यायोचित माना गया।**

आज सम्पन्न हुई जब्तीकरण की कार्रवाई-

सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में आज दिनांक **22.06.2026** को **लगभग 10.50 लाख रुपये मूल्य के कंटेनर वाहन संख्या UP-79 AT-9418 के विरुद्ध विधिक जब्तीकरण (Confiscation) की कार्रवाई सम्पन्न** की गई। यह कार्रवाई मादक पदार्थ तस्करों के आर्थिक नेटवर्क, अवैध निवेश एवं अपराध से अर्जित सम्पत्तियों के विरुद्ध आजमगढ़ पुलिस की सुदृढ़ रणनीति का प्रत्यक्ष उदाहरण है। इससे यह स्पष्ट संदेश गया है कि अपराधियों के विरुद्ध केवल आपराधिक मुकदमा ही नहीं, बल्कि उनकी अवैध कमाई से खड़ी की गई सम्पत्तियों पर भी कठोर कार्रवाई की जाएगी।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ का स्पष्ट संदेश-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ0 अनिल कुमार के निर्देशन में जनपद पुलिस द्वारा **मादक पदार्थ तस्करों, संगठित अपराधियों एवं अपराध से अर्जित उनकी अवैध सम्पत्तियों के विरुद्ध भविष्य में भी इसी प्रकार कठोर, प्रभावी एवं विधिसम्मत कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी।** जनपद आजमगढ़ को नशामुक्त एवं अपराधमुक्त बनाने हेतु अपराधियों के आर्थिक तंत्र पर प्रहार करने की रणनीति के तहत ऐसे तत्वों के विरुद्ध **जीरो टॉलरेंस की नीति** अपनाई जा रही है।